न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 126/2025 तारीख रजू:— 04.07.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. ऋषी महावर पुत्र कपूरचन्द, जाति कोली, निवासी शिव कॉलोनी हिण्डौन सिटी, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान। ——————————सायल

बनाम

1. विक्रमसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह, जाति जाटव, निवासी नौगाँव, तहसील महवा, जिला दौसा राजस्थान।

2. तहसीलदार महोदय, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायल

2. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट गैरसायल नं. 1

निर्णय

दिनांक :— 17.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायल ने उक्त उनवानी दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी–पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं. 1901/1929 रकबा 17 ऐयर स्थित गाँव मण्डावरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली की खातेदारी गैरसायल सं. 1 विक्रमसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं. 1901/929 रकबा 17 ऐयर स्थित गाँव मण्डावरा में से 2500 वर्गफिट भूमि अर्थात् उक्त भूमि के करीब 1/7 हिस्से को मु. माया देवी एवं मु. चन्द्रकला द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2016 को गैरसायल सं. 1 विक्रमसिंह से खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लेकिन मु. चन्द्रकला द्वारा भी उक्त भूमि में अपने 1/4 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.07.2018 को मु. माया देवी के हक में तकमील करवाकर तस्दीक करवा दिया गया। इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नं. 1901/929 में मु. माया देवी 1/7 हिस्से की वैधानिक स्वामिनी रही है जिससे गैरसायल सं. 1 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि मु. माया देवी पत्नि राकेश सायल की भुआ लगती है और सायल के मृतक पिता कपूरचन्द की माँ जाई बहिन थी लेकिन मु. माया देवी के कोई सन्तान नहीं होने एवं माया देवी के पति राकेश का स्वर्गवास हो जाने के कारण मु. माया देवी की सार–संभाल एवं सेवा–सुश्रुवा सायल द्वारा ही की गई जिससे खुश होकर उक्त माया देवी द्वारा एक वसीयत दिनांक 21.05.2023 को तहरीर व तकमील कर माया देवी द्वारा अपनी स्वेच्छा से, पूर्ण होश–हवास एवं स्वस्थचित्त मन की अवस्था में दो गवाहान की उपस्थिति में सायल के हक में तकमील तस्दीक करवा दी गई एवं उक्त वसीयत को वैधानिक रीति से सबरजिस्ट्रार कार्यालय तहसील हिण्डौन सिटी में रजिस्टर्ड करवाया गया है चूँकि दिनांक 09.04.2025 को सायल की मुआ मु. माया देवी का देवयोग से स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उक्त भूमि खसरा नं. 1901/929 के 1/4 हिस्से पर सायल बतौर स्वामी काबिज एवं दखील हैं एवं वैधानिक तौर पर स्वंय के नाम 1/7 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 30.05.2025 को सायल द्वारा जब उक्त खसरा नं. 1901/929 के रेवन्यू रिकॉर्ड को निकालकर देखा तो सायल को बडा आघात पहुँचा कि उक्त भूमि में सायल की भुआ के नाम का इन्द्राज ही नहीं है जिस पर सायल द्वारा भूमि से सम्बंधित समस्त दस्तावेजात को गैरसायल सं. 2 मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि में सायल का नाम अंकित करने की प्रार्थना की तो श्रीमान तहसीलदार जी द्वारा सक्षम न्यायालय में बाद दायर करने की हिदायत फरमायी है. इसलिए प्रार्थनापत्र दायर करना लाजमी हुआ है, साथ ही गैरसायल सं. 1 भी उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि अगर प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी को रहन व्यय या बेचान कर दिया तो सालय को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा सायल के बाल–बच्चे भूखे मर जायेगें तथा सायल को गाँव छोडकर निकलना पडेगा, इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायल के हक में साबित नहीं होकर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायल के हक में बखूबी साबित है तथा प्रथम दृष्ट्या केस भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावें कि वे आराजी खसरा नं. 1901/929 रकबा 17 ऐयर स्थित ग्राम मण्डावरा, तहसील हिण्डौन सिटी से सायल को बेदखल कर स्वंय कब्जा नही करें तथा सायल के हिस्से में कोई निर्माण कार्य नही करें तथा आराजी को रहन व्यय नहीं करें। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.08.2025 को गैरसायल सं01 की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। गैरसायल सं01 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 01 में दावा पेश करना तो स्वीकार है, परन्तु सायल द्वारा क्लीनहैण्ड्स से दावा हाजा न्यायालय में पेश नहीं किया है, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर सायल द्वारा पेश किये गये दावे में सायल को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में खसरा नम्बरान और रकवा मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज होने से स्वीकार हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 03 में दर्ज तथ्य स्वीकार है, परन्तु उक्त में दर्ज गैरसायल संया 01 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं रहा है, क्योंकि उक्त विवादित भूखण्ड से सायल का कोई वास्ता या सम्बंध नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 04 में दर्ज सभी तथ्य आधारहीन व असत्य होने के कारण अस्वीकार हैं। वास्तविकता यह है कि मृतक माया देवी ने अपने जीवनकाल में सिर्फ एक ही वसीयत सोनी पुत्री राकेश माहौर के नाम से लिखी, जो मृतक मायादेवी का अन्तिम इच्छा पत्र है। मायादेवी ने ऋषि महावर के हक में कभी कोई भी अपने जीवनकाल में वसीयत नहीं लिखी। सायल व सायल के सहयोगी भू–माफिया हैं और मायादेवी के उक्त भूखण्ड को हड़पने की आशय से फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार कर उस पर मायादेवी की फर्जी निशानी की है, उक्त वसीयत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है, जिसके आधार पर सायल किसी भी प्रकार का हक या अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 05 गलत है, आधारहीन व असत्य होने के कारण अस्वीकार है, क्योंकि सायल द्वारा तथाकथित दिनांक को व अन्य किसी दिन व दिनांक को भूमि की कोई जमाबंदी नहीं देखी गयी। विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आबादी की भूमि है एवं उक्त विवादित भूखण्ड की रजिस्ट्री भी आवासीय भूखण्ड के तौर पर उप पंजीयक हिण्डौन के यहां पंजीबद्ध हुई है, जिसका रकवा 2,500 वर्गफीट है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होकर विधि अनुसार नगर परिषद हिण्डौन से विधिवत पट्टा हासिल करना चाहिए।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 06 गलत होने से अस्वीकार है। जब उक्त भूखण्ड से सायल का कोई सरोकार व वास्ता किसी प्रकार का है ही नहीं तो उसे किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या केस, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में साबित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। सायल कोई भी दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायल मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2016 उनवानी विक्रमसिंह पुत्र बिजेन्द्रसिंह जाति जाटव निवासी नौगांव तहसील महुवा जिला दौसा– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती माया देवी पुत्री इन्दरजीत महावर, श्रीमती चन्द्रकला पत्नि स्व0 कपूर चन्द महावर निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन– क्रेतीगण द्वितीयपक्ष, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2018 उनवानी श्रीमती चन्द्रकला पत्नि स्व0 कपूर चन्द महावर निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन – विक्रेती प्रथमपक्ष बहक श्रीमती माया देवी पुत्री इन्दरजीत महावर धर्म पत्नि श्री राकेश माहौर जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन हाल निवासी 17/199, कंगाल पाडा, मंटोला आगरा तहसील आगरा– क्रेती द्वितीयपक्ष, फोटो प्रति रजिस्टर्ड वसीयतनामा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दिनांक 28.04.2025 उनवानी श्रीमती माया देवी पुत्री इन्दरजीत महावर धर्म पत्नि श्री राकेश माहौर जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन हाल निवासी 17/199, कंगाल पाडा, मंटोला आगरा तहसील आगरा – बहक ऋषी महावर पुत्र श्री कपूरचन्द जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं.1 ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1901/929 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी विक्रमसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति जाटव निवासी नौंगांव खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2016 उनवानी विक्रमसिंह पुत्र बिजेन्द्रसिंह जाति जाटव निवासी नौगांव तहसील महुवा जिला दौसा– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक श्रीमती माया देवी पुत्री इन्दरजीत महावर, श्रीमती चन्द्रकला पत्नि स्व0 कपूर चन्द महावर निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन– क्रेतीगण द्वितीयपक्ष के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1901/929 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन में से एक प्लाट 50 गुणा 50 कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफिट नाप जिसकी सीमाऐं पूर्व में :– भूमि हुकम, पश्चिम में रास्ता 20 फिट, उत्तर में हिण्डौन–लपावली रोड, दक्षिण में प्लाट नं0 14 के मध्य स्थित भू–खण्ड का बेचान क्रेतीगण द्वितीयपक्ष के हक में किया गया है तथा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

विक्रीत भू–खण्ड पर कब्जा वाकई मौके पर क्रेतीगण द्वितीयपक्ष को संभलाना अंकित किया है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2018 उनवानी श्रीमती चन्द्रकला पत्नि स्व0 कपूर चन्द महावर निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन – विक्रेती प्रथमपक्ष बहक श्रीमती माया देवी पुत्री इन्दरजीत महावर धर्म पत्नि श्री राकेश माहौर जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन हाल निवासी 17/199, कंगाल पाडा, मंटोला आगरा तहसील आगरा– क्रेती द्वितीयपक्ष के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1901/929 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन स्थित आबासीय भू–खण्ड 50 गुणा 50 कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफिट नाप जिसकी सीमाऐं पूर्व में :– भूमि हुकम, पश्चिम में रास्ता 20 फिट, उत्तर में हिण्डौन–लपावली रोड, दक्षिण में प्लाट नं0 14 के मध्य स्थित भू–खण्ड में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग का बेचान क्रेती द्वितीयपक्ष के हक में किया गया है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 28.04.2025 उनवानी श्रीमती माया देवी पुत्री इन्दरजीत महावर धर्म पत्नि श्री राकेश माहौर जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन हाल निवासी 17/199, कंगाल पाडा, मंटोला आगरा तहसील आगरा – बहक ऋषी महावर पुत्र श्री कपूरचन्द जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1901/929 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन में स्थित प्लाट 50 गुणा 50 कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफिट नाप जिसकी सीमाऐं पूर्व में :– भूमि हुकम, पश्चिम में रास्ता 20 फिट, उत्तर में हिण्डौन–लपावली रोड, दक्षिण में प्लाट नं0 14 के मध्य स्थित भू–खण्ड को अपने सगे भाई के पुत्र ऋषी महावर पुत्र श्री कपूरचन्द जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के पक्ष व नाम करती हूँ जो मेरे मरणोपरान्त उक्त सम्पत्ति को ग्रहण करेंगे। मेरी इस सम्पत्ति से मेरे किसी दीगर उत्तरजीवी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहेगा यदि मेरे मरणोपरान्त मेरा कोई दीगर वाली वारिस इस सम्पत्ति को ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का विवाद वसीयतग्रहिता ऋषी महावर पुत्र श्री कपूरचन्द के साथ उत्पन्न करेगा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तो वह अमान्य माना जावेगा। यह वसीयत मुझ वसीतयकर्ता की अन्तिम वसीयत है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या D 2025993770000991 दिनांक 21.04.2025 के अनुसार मृतक मायादेवी पत्नि राकेश माहौर निवासी कंगाल पाडा, मन्टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश की मृत्यु दिनांक 09.04.2025 को होना साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1901/929 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी विक्रमसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति जाटव निवासी नौंगांव खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार विक्रमसिंह ने अपनी उक्त भूमि में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2016 श्रीमती माया देवी पुत्री इन्दरजीत महावर, श्रीमती चन्द्रकला पत्नि स्व0 कपूर चन्द महावर निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन के हक में एक भूखण्ड 50 गुणा 50 कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफिट नाप जिसकी सीमाऐं पूर्व में :– भूमि हुकम, पश्चिम में रास्ता 20 फिट, उत्तर में हिण्डौन–लपावली रोड, दक्षिण में प्लाट नं0 14 के मध्य स्थित भू–खण्ड का बेचान किया गया है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2018 के अनुसार उक्त भूखण्ड में श्रीमती चन्द्रकला पत्नि स्व0 कपूर चन्द महावर निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग का बेचान श्रीमती माया देवी पुत्री इन्दरजीत महावर धर्म पत्नि श्री राकेश माहौर जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन हाल निवासी 17/199, कंगाल पाडा, मंटोला आगरा तहसील आगरा के हक में किया गया है तथा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 28.04.2025 उनवानी श्रीमती माया देवी पुत्री इन्दरजीत महावर धर्म पत्नि श्री राकेश माहौर जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन हाल निवासी 17/199, कंगाल पाडा, मंटोला आगरा तहसील आगरा – बहक ऋषी महावर पुत्र श्री कपूरचन्द जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के हक में आराजी खसरा नम्बर 1901/929 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन में स्थित प्लाट 50 गुणा 50 कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफिट नाप जिसकी सीमाऐं पूर्व में :– भूमि हुकम, पश्चिम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में रास्ता 20 फिट, उत्तर में हिण्डौन–लपावली रोड, दक्षिण में प्लाट नं0 14 के मध्य स्थित भू–खण्ड को अपने सगे भाई के पुत्र ऋषी महावर पुत्र श्री कपूरचन्द जाति कोली निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के हक में की गई है। मायादेवी पत्नि राकेश माहौर निवासी कंगाल पाडा, मन्टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश की मृत्यु दिनांक 09.04.2025 को होना साबित है। सायल उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1901/929 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन का सायल खातेदार काश्तकार नहीं है तथा सायल उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं वसीयतनामा के आधार पर उक्त विवादित भू–खण्ड का उत्तराधिकारी है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। वर्तमान में गैरसायल सं01 उक्त विवादित आराजीयात का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायल का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1901/929 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दि0 04.07.2025 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 17/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन जिला करौली